<u>प्रथम सूचना रिपोर्ट</u>

1.जिला गुडगांव थाना एस.वी.बी वर्श 2013 प्र.सू.रि.स 10 दिनांक 29.05.2013

2.अधिनियम पी0सी0 एक्ट 1988 धाराएं 7 पी0सी0 एक्ट

3.(क) घटना का दिन बुधवार दिनांक दिनांक 29.05.13

(ख) थाने पर प्राप्त सूचना दिनांक 29.05.13 समय 02.05 पी0एम0

(ग) (रोजनामचा संदर्भ) प्राविश्टि संख्या) 6 समय 02.15 पी0एम0

4.(सूचना कैसे प्राप्त हुई) स्पैषल मैसेन्जर (लिखित/मौखिक) : लिखित

5. घटना स्थन का ब्यौरा (क) (थाने से दिषा एंव दूरी) दक्षिण – पष्चिम लगभग 1/2 किलो मीटर

(ख) पता :– सैलटेक्स आफिस गुडगांव।

थाने का नाम :– सिटी गुडगांव। जिला गुडगांव।

6. (षिकायतकर्ता/इतला देने वाला) :– रविकान्त

(क) नाम : रविकान्त

(ख) (पिता/पति का नाम) श्री मन्दरूप

(ग) (जन्म तिथि) (घ) (राश्ट्रीयता) भारतीय

(ड) पासपोर्ट सं0

(जारी करने की तिथि) (जारी करने का स्थान)

(च) (व्यवसाय) ट्रांसपोर्ट (पता) रविकान्त सपुत्र श्री मन्दरूप निवासी,
गांव बुडौली, जिला रेवाडी।

7. (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण)

1. भगत सिंह, इन्सपैक्टर,
   सैल्टैक्स आफिस, गुडगांव।

इस समय एक तहरीर हिन्दी हस्ताक्षरी श्री कुलवन्त सिंह, निरीक्षक एस.वी.बी गुडगांव बदस्त ए.एस.आई राजबीर 4/जी.आर.पी बराये करने दर्ज मुकदमा थाना हजा में प्राप्त हुई जिसका विशय इस प्रकार से है, ''सेवा में अतिरिक्त महानिदेषक रा0चौ0ब्यू0 गुडगांव निवेदन यह है कि मै रविकान्त पुत्र मन्दरूप गांव बुडौली जिला रेवाडी का रहने वाला हूँ मेरे पास बी0पी0 टूर एण्ड ट्रैवल की टाटा सूमो गाडी न0 एच0आर0

55 टी0 9885 गाडी है। गाडी पर ड्राईवर रखा है। गाडी कम्पनी में चलती है। जिसका टैक्स हर तीन महीनक में भरा जाता है। इस समय गाडी का टैक्स जनवरी 2013 से टूटा हुआ है। दिनांक 23.05.2013 को मेरी गाडी टैक्स वालों ने पकड कर इन्पाउन्ड कर रखी है। दिनांक 27.05.2013 को सैल टैक्स आफिस गुडगांव में गया तो वहां पर भगत सिंह से मिला जिसे गाडी छुडवाने हेतु बात हुई तो भगत सिंह निरीक्षक ने मेरे से 30,000 रूप्ये मांगे जो मैने कहा मेरी गाडी का 4800 रूप्ये का टैक्स टूटा हुआ है। और 1000 रूप्ये पैन्लटी लगा लो तो उसने कहा कि 15,000 रूप्ये से कम बिल्कुल भ नही होगा। मैने काफी प्रार्थना की लेकिन वह नही मान रहा था। आज मैने आपके कार्यालय में हाजिर होकर दरखास्त दी है। मै रिष्वत देना नही चाहता । भगत सिंह निरीक्षक बिना रिष्वत लिये मेरा काम नही करेगा। मेरी भगत सिंह निरीक्षक से कोई आपसी रंजिष नही है। और ना ही कोई लेना–देना है। भगत सिंह निरीक्षक के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावे। हस्ता अग्रेंजी :– रविकान्त सपुत्र री मन्दरूप गांव बुडोली जिला रेवाडी हाल 1540 सैक्टर 17 सी फस्ट फलोर गुडगांव, दिनांक 29.05.2013 मो0न0 9999265400 कार्यवाही पुलिस :– आज मन निरीक्षक समय 2.00 पी.एम पर अपने एस.वी.बी कार्यालय गुडगांव में हाजिर हॅू कि इसी समय रविकान्त मुदई उपरोक्त ने मन निरीक्षक को एक दरखास्त बाबत करवाने रेड ए.डी.जी साहब विजिलैसं गुडगांव से मार्क षुदा पेष की जो दरखास्त के मजबून से सरेदस्त जुर्म धारा 7 पी.सी एक्ट का सरजद होना पाया जाने पर तहरीर हजा बराये कायमी मुदमा बदस्त ए.स.आई राजबीर अरसाल थाना हें मुकदमा दर्ज करके नम्बर मुकदमा से सूचित किया जाये। स्पेषल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रट साहब व अफसरान बाला की सेवा में भिजवाई जावे। मन निरीक्षक ने एक रेडिगं पार्टी तैयार की जिसमें ए.एस.आई देविन्द्र, एच.सी सतीष कुमार 1706/फरीदाबाद, ए.एस.आई रोहताष कुमार को षामिल किया मन निरीक्षक मय रैडिगं पार्टी मय तफतीषी बैग व मुदई सहित बा सवारी गाउी सरकारी न0 एच.आर3 एल/4422 चालक सि0 सुरेन्द्र न0 1039/गुडगांव के बराये प्राप्त करने रैड अनुमति व रेड में किसी राजपत्रित अधिकारी के नियुक्त किये जाने के आदेष प्राप्त करने हेतु उपायुक्त कार्यालय गुडगांव का रवाना होता हॅू। हस्ता अग्रेजी : मुलवन्त सिंह निरीक्षक थाना एस.वी.बी गुडगांव दिनांक 29.05.2013 एट 2.00 पी.एम. अज थाना :– आमदा तहरीर पर मुकदमा हजा बाजुर्म मजकूर दर्ज रजिस्ट्रर किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट की पांच प्रतियां बजरिया कार्बन एक ही समय में चाक की गई जो सेवा में अफसरान बाला भेजा जायेगी। एक पर्त एफ.आई.आर बतौर स्पैषल रिपोर्ट बजरिया स्पेषल मैसेन्जर आरिन्दा ए.एस.आई राजबीर 4/जी.आर.पी भेजी जा रही है। नकल मिषल पुलिस मय आमदा तहरीर भी मौका पर पहुंचाने हेतु इसी ए.एस.आई के हवाले की गई।

हस्ता : अग्रेजी जगत सिंह
थाना प्रभारी का नाम
नाम : जगत सिंह

पद : निरीक्षक

सख्यां : एच0ए0पी0 / 15

दिनांक 29.05.2013 समय 05.00 पी0एम0